राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प.30(6)मं.मं./2018 जयपुर दिनांक :– 11/6/19

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।

परिपत्र

विषय :– राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में **ऑनलाईन** (Online) किये जाने/भिजवाये जाने बाबत्।

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.12.2018, 25.01.2019 तथा 04.02.2019 के माध्यम से समस्त प्रशासनिक विभागों को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन इस वर्ष के लेखानुदान के उपरान्त आगे वाले सत्र, जिसमें बजट पर चर्चा की जानी है, में सत्र आहूत होने के उपरान्त या बजट प्रस्तुत करने से सात दिवस पूर्व, 31 दिसम्बर, 2018 तक की सूचना/आंकड़े प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए 325 प्रतियों में विधानसभा सचिवालय में आवश्यक रूप से पहुंचाने बाबत निर्देशित किया गया था।

चूंकि 15वीं राजस्थान विधानसभा का द्वितीय सत्र गुरूवार, दिनांक 27 जून, 2019 से प्रारम्भ होने जा रहा है, जिसमें बजट पर चर्चा की जावेगी तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्रावधान किया जाना संभावित है। अतः राजस्थान विधानसभा सचिवालय के निर्णय अनुसार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के क्रम में समस्त प्रशासनिक विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें :–

1. जिन विभागों/बोर्ड/निगमों/उपक्रमों द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय को भिजवाया जा चुका है, वे न्यूनतम साईज की ग्रे–स्केल में PDF फाईल तैयार कर पेन ड्राईव में विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करावें।
2. जिन विभागों/बोर्ड/निगमों/उपक्रमों की प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय को आगामी बजट सत्र में 7 दिवस पूर्व भिजवाने हेतु तैयारी है, वे न्यूनतम साईज की ग्रे–स्केल में PDF फाईल तैयार कर पेन ड्राईव के साथ विधानसभा सचिवालय को 25 प्रतियों में मैन्युअली उपलब्ध करावें।
3. जिन विभागों/बोर्ड/निगमों/उपक्रमों द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं किया गया है, वे प्रतिवेदन आवश्यक रूप से **तत्काल** तैयार कर, न्यूनतम साईज की ग्रे–स्केल में PDF फाईल तैयार कर पेन ड्राईव के साथ आगामी बजट सत्र में 7 दिवस पूर्व विधानसभा सचिवालय को 25 प्रतियों में मैन्युअली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
4. कृपया विस्तृत प्रक्रियात्मक जानकारी के लिये विधानसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारी से सीधे ही सम्पर्क करने का कष्ट करें।
5. वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

11/6/2019
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. रक्षित पत्रावली।

11/6/2019

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव